सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 306 राँची, बुधवार, 21 मार्च, 2018 (ई०)

## नगर विकास एवं आवास विभाग

---

संकल्प

19 मार्च, 2018

**विषयः- शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा संग्रहित विभिन्न श्रेणियों के नगरपालिका शुल्क एवं करों से प्राप्त राशि के सदुपयोग करने हेतु प्राथमिकता निर्धारण करने के संबंध में ।**

**संख्या- 01/विविध (कर)-04/2018 न०वि०आ०-1637--** झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 को दृष्टिगत रखते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय दृष्टिकोण से सुदृढ़ एवं सबल बनाने हेतु ठोस एवं प्रभावी पहल की गई है, जिस क्रम में राज्य स्तर पर स्थानीय निकाय राजस्व संग्रहण के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पी०एम०यू०) का भी गठन किया गया है ।

2. उपर्युक्त क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा राजस्व वसूली के विभिन्न स्रोतों की पहचान करते हुए अपेक्षित नियमावलियाँ, अधिसूचनाएँ, परिपत्र एवं अनुदेश निर्गत किए गए हैं

तथा राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए जा रहे राजस्व संग्रहण की सूक्ष्म समीक्षा की जा रही है ।

3. नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा की गई पहल एवं शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत पदाधिकारियों के अथक प्रयास के फलस्वरूप राज्य के शहरी स्थानीय निकायों की राजस्व आय में काफी वृद्धि हुई है, जो निम्नांकित तालिका से स्पष्ट होगी:

| **वर्ष** | **राशि (करोड़ रू० में)** |
|---|---|
| 2014-15 | 45.13 |
| 2015-16 | 55.91 |
| 2016-17 | 130.10 |
| 2017-18<br>(माह फरवरी, 2018 तक) | 133.33 |

4. उपर्युक्त क्रम में यह महसूस किया जा रहा है कि विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा जुटाए गए इन वित्तीय संसाधनों के प्राथमिकतानुसार व्यय हेतु कोई ठोस दिशा निर्देश नहीं होने के फलस्वरूप तदर्थ रूप से इस राशि का व्यय किए जाने की प्रबल संभावना है, जिसके फलस्वरूप जहाँ एक ओर निहित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होगी वहीं दूसरी ओर शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न नागरिक सुविधाओं के संचालन-प्रबंधन में भी कतिपय कठिनाईयाँ हो सकती हैं।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त स्थानीय निकाय राजस्व संसाधनों के सदुपयोग एवं बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु मासिक रूप से निम्नांकित प्राथमिकता के अनुसार व्यय किया जाए :

| **प्राथमिकता** | **व्यय मद** |
|---|---|
| 1. | नियमित कर्मियों को वेतन, इत्यादि का भुगतान |
| 2. | संविदा आधारित कर्मियों को मानदेय, इत्यादि का भुगतान |
| 3. | दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत कर्मियों को दैनिक भत्ता का भुगतान |
| 4. | पेंशन दायित्वों का भुगतान |

| | |
|---|---|
| 5. | जलापूर्ति एवं अन्य नागरिक सुविधाओं के संचालन-प्रबंधन हेतु आवश्यक भुगतान |
| 6. | राज्य के विभिन्न विभागों, यथा- ऊर्जा, पेयजल एवं स्वच्छता, इत्यादि से प्राप्त सेवाओं इत्यादि के विरूद्ध अनुमान्य भुगतान |
| 7. | अन्य विधि सम्मत् दायित्वों का भुगतान |
| 8. | शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न वार्डों से जुटाए गए वित्तीय संसाधनों के अनुपात में वार्डवार विभिन्न जनोपयोगी विकास कार्य कुल राजस्व संग्रहण का न्यूनतम बीस प्रतिशत (20%) |

6. 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत **"उपलब्धि आधारित अनुदान"** प्राप्त करने हेतु अनिवार्य अहर्त्ता के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा जुटाए गए समस्त राजस्व संसाधनों का न्यूनतम 20% विभिन्न जनोपयोगी विकास कार्यों में व्यय किया जाए ।

उपर्युक्त क्रम में विभिन्न वार्डों से जुटाए गए वित्तीय संसाधनों के अनुपात में संबंधित वार्ड में **"अधिकतम नागरिकों का अधिकतम लाभ"** के आधार पर विभिन्न जनोपयोगी विकास कार्यों से लाभान्वित किया जाए ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अरूण कुमार सिंह,**
सरकार के प्रधान सचिव ।

---

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 306 -- 200